

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(71)वित्त-1(1)आय.व्य/2015

जयपुर, दिनांक : 19/08/16

स्वीकृति संख्या:- 238 / 2016-17

कोषाधिकारी,  
सम्बन्धित।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषदों के पी.डी. खातों में राशि रुपये 7.20 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.5/माडा/एसीटीएडी/स्था/प्रस्ताव/2012 दिनांक 09.08.2016 स्वीकृति संख्या -41/2016-17 में अंकित शर्तों के अनुसार विभिन्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषदों के पी.डी. खातों में राशि रुपये 7.20 लाख (अक्षरे रुपये सात लाख बीस हजार) मात्र की राशि निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30

- 2225 - अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण  
02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण  
796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना  
(21) - माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जकनि)  
[07] - माडा क्षेत्र के लिए निर्देशन एवं प्रशासन  
62 - कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय

क्र.सं.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामिण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषद	राशि (रु. लाखों में)
1.	अलवर	0.48
2.	बारां	0.48
3.	टोंक	0.48
4.	भीलवाड़ा	0.48
5.	चित्तौड़गढ़	0.48
6.	धौलपुर	0.48
7.	जयपुर	0.48
8.	करौली	0.48
9.	कोटा	0.48
10.	पाली	0.48
11.	राजसमंद	0.48
12.	सिरोही	0.48
13.	सवाईमाधोपुर	0.48
14.	उदयपुर	0.48
15.	प्रतापगढ़	0.48
	योग	7.20

(अक्षरे रुपये सात लाख बीस हजार)

उक्त राशि का आरहण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय

*(जसवंत सिंह)*

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा- प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 2 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
- 5 संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामिण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषद।
- 6 अतिरिक्त निदेशक, (संयुक्त निदेशक) वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
- 7 अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
- 8 रक्षित पत्रावली।

*(जसवंत सिंह)*

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)